

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

विधायी (अंग्रेजी) अनुभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 22 दिसम्बर, 1995

संख्या एल0 एल0 आर0 डी0 (6) 15/95-लेजिसलेशन-हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तारीख 20-12-1995 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (नियन्त्रण) विधेयक, 1995 (1995 का 10) को 1995 के हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 15 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित, हिमाचल प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,  
कुलदीप चन्द सूद,  
सचिव।

## हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (नियन्त्रण) अधिनियम, 1995

(राज्यपाल द्वारा तारीख 20 दिसम्बर, 1995 को यथा अनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश राज्य में सार्वजनिक नालियों, सड़कों और जनता को दृष्टिगोचर खुले स्थानों में जीव अनाशित कूड़ा-कचरा फेंकने या जमा करने को निवारित करने और जीव अनाशित कूड़ा-कचरा सामग्री के उपयोग को विनियमित करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के छियालसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (नियन्त्रण) अधिनियम, 1995 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

2. परिभाषाएँ.—इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “जीव नाशित कूड़ा-कचरा” से जीवित प्राणियों की क्रिया द्वारा नाशित किए जाने योग्य कूड़ा-कचरा या अपशिष्ट सामग्री अभिप्रेत है;

(कक) “सक्षम प्राधिकारी” से राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध के प्रवर्तन हेतु नियुक्त कोई प्राधिकारी, अधिकारी या व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ख) “सफाई गली” से रास्ता या भूमि का टुकड़ा अभिप्रेत है जो नाली के रूप में प्रयुक्त किए जाने या नाली निकालने के लिए अथवा शौचालय, मूत्रालय, मलकुंड तक या गन्दगी या अन्य दूषित पदार्थ के लिए अन्य पात्र तक, उसकी सफाई के लिए या उसमें से ऐसे पदार्थ को हटाने के लिए नियोजित व्यक्तियों के आने-जाने के प्रयोजन के लिए बनाया गया है, पृथक रखा गया है या प्रयोग में लाया जाता है;

(ग) “स्थानीय प्राधिकरण” से तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित या जारी रखा गया नगर निगम, नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, छावनी बोर्ड, जिला परिषद्, पंचायत समिति या ग्राम पंचायत अभिप्रेत है;

(घ) "मंडी" के अन्तर्गत, इस बात के होते हुए भी कि क्रेताओं और विक्रेताओं के जमाव के लिए कोई सामान्य विनियम नहीं है और स्थान के स्वामी या किन्हीं अन्य व्यक्तियों द्वारा मंडी के कारबार या मंडी में बार-बार आने वाले व्यक्तियों पर किसी प्रकार का नियन्त्रण रखा जाता है, या नहीं, कोई ऐसा स्थान है, जहां ऐसे स्थान के स्वामी की सम्मति सहित या रहित, व्यक्ति, मानव प्रयोग अथवा उपभोग के लिए मांस, मछली, फल, सब्जियां, भोजन या अन्य वस्तुएं विक्रय के लिए, रखने के लिए एकत्र होते हैं;

(ङ) "जीव अनाशित कूड़ा-कचरा" से जीव अनाशित सामग्री से निर्मित अपशिष्ट कूड़ा-कचरा अभिप्रेत है; और

(ण) "जीव अनाशित सामग्री" से ऐसी सामग्री अभिप्रेत है जिसका, जीवाणु-क्रिया (माइक्रो-ऑर्गानिज्म), धूप या अन्य प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा विघटन और अवक्रमण नहीं किया जा सकता है और इसके अन्तर्गत अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट पोलीथीन, नाईलोन या प्लास्टिक के अन्य पदार्थों जैसे कि पॉली-विनायल-कार्बोहाइड्रेट्स (पीवीसी), पोलीप्रोपाईलीन और पोली-स्टाइरीन से बनाया गया या निर्मित माल सम्मिलित है; और

(त) "अधिभोगी" के अन्तर्गत निम्नलिखित हैं—

(i) कोई व्यक्ति जो स्वामी के तत्समय उस भूमि या भवन के भाटक या भाटक का कोई भाग संदत्त कर रहा है या संदत्त करने का जिम्मेदार है, जिसकी बाबत ऐसा भाटक संदत्त किया जाता है या संदेय है;

(ii) वह स्वामी जो अपनी भूमि या भवन का अधिभोग कर रहा है या अन्यथा उसका प्रयोग करता है;

(iii) किसी भूमि या भवन का भाटकमुक्त अभिधारी;

(iv) ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी भूमि या भवन के प्रयोग और अधिभोग के लिए उसके स्वामी को नुकसान संदत्त करने का दायी है;

(छ) "स्वामी" के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जो तत्समय किसी भूमि या भवन का भाटक चाहे अपने ही निमित्त या अपने और अन्यो के निमित्त या किसी अन्य व्यक्ति के लिए अभिकर्ता, न्यासी, संरक्षक या रिसीवर के रूप में प्राप्त कर रहा है या प्राप्त करने का हकदार है या जो, यदि भूमि या भवन या उसका भाग किसी अभिधारी को पट्टे पर दे दिया जाए तो इस प्रकार भाटक प्राप्त करेगा, या प्राप्त करने का हकदार होगा;

(ज) "स्थान" से कोई भूमि या भवन अथवा भवन का भाग अभिप्रेत है और किसी भवन या भवन के भाग से अनुलग्न उद्यान, जमीन और उपगृह, यदि कोई हो, इसके अन्तर्गत है;

(झ) "जनता को दृष्टिगोचर खुले स्थान" के अन्तर्गत कोई प्राईवेट स्थान या भवन, स्मारक, बाड़ या छज्जा है जो किसी सार्वजनिक स्थान में, या उससे होकर गुजरने वाले किसी व्यक्ति को दिखाई देता हो;

(ञ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ट) "लोक विश्लेषक" से, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबन्धों के अधीन राज्य में स्थापित या मान्यताप्राप्त किसी पर्यावरणिक प्रयोगशाला के सम्बन्ध में सरकारी विश्लेषक के रूप में नियुक्त या मान्यताप्राप्त व्यक्ति अभिप्रेत है; और

(ठ) "सार्वजनिक स्थान" से ऐसा कोई स्थान अभिप्रेत है जो सर्वसाधारण के प्रयोग और उपयोग के लिए खुला है चाहे उसका सर्वसाधारण द्वारा वास्तव में प्रयोग या उपयोग किया जाता है या नहीं और सड़क, मार्ग, मण्डी, सफाई रास्ता, चाहे वह आम रास्ता है या नहीं और उतरने का स्थान जहां सर्वसाधारण की पहुंच है या आने-जाने का अधिकार है अथवा जिस पर उन्हें जाने का अधिकार है, इसके अन्तर्गत है।

**3. सार्वजनिक स्थानों, नालियों मल-नाली में जीव अनाशित कूड़ा-कचरा फेंकने का प्रतिषेध.**—कोई भी व्यक्ति, स्वयं या अन्य के माध्यम से जानबूझकर या अन्यथा—

(1) किसी प्राईवेट या सार्वजनिक जन निकास संकर्भों से सम्बन्धित किसी नाली, संवातन नाल, पाइप और फिटिंगों में कोई जीव अनाशित कूड़ा-कचरा या जीव अनाशित तैले या पात्र में कोई जीव-नाशित कूड़ा-कचरा नहीं फेंकेगा या फेंकवाएगा, जिससे,—

(i) जल निकास और मल व्ययन प्रणाली को क्षति पहुंचाने; या

(ii) निर्बाध प्रवाह में बाधा पड़ने या अन्तर्वस्तु की अभिक्रिया व्ययन पर प्रभाव पड़ने; या

(iii) जन स्वास्थ्य के लिए खतरनाक या न्यूसैन्स का कारण अथवा प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है।

(2) कोई भी व्यक्ति, जानबूझकर या अन्यथा ऐसी प्रक्रिया के अनुसार और ऐसे रक्षोपाय का जो विहित किया जाए, पालन करने के पश्चात् के सिवाय किसी जीव नाशित या जीव अनाशित कूड़े-कचरे को, किसी सार्वजनिक स्थान या जनता को दृष्टिगोचर स्थान में नहीं रखेगा या रखने की अनुज्ञा नहीं देगा, यदि—

(क) कूड़ा-कचरा किसी कूड़ा-कचरा पात्र में नहीं रखा जाता है; या

(ख) किसी क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकरण द्वारा कूड़े-कचरे के लिए व्ययन के अभिहित स्थान में कूड़ा-कचरा जमा नहीं किया जाता है।



3-क. जीव अनाशित सामग्री से विनिर्मेत कतिपय चीजों के उपयोग पर निर्बन्धन या प्रतिषेध.—(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, हिमाचल प्रदेश राज्य के भीतर उस जीव अनाशित सामग्री के उपयोग पर, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले सन्निधियों के प्रतिकूल है, निर्बन्धन या प्रतिषेध अधिरोपित कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार उन विनिर्माताओं, वितरकों और अन्य व्यक्तियों पर, जो वस्तुओं का उत्पादन या हथालन (हैंडलिंग) करते हैं, आकार (टाईप), माप (साइज), लेवलिंग और कम्पोजीशन पैकेजिंग की बाबत, सामग्री की निम्नीकरणीयता और पुनः चक्रणियता के लिए मानकों या सन्निधियों सहित इसके उपयोग और निपटारे की बाबत अपेक्षाएं अधिरोपित कर सकेगी।

4. जीव-अनाशित कूड़ा-कचरा जमा करने के लिए कूड़ादान रखने और स्थानों की व्यवस्था करना.—स्थानीय प्राधिकरण या उस द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी का निम्नलिखित कर्तव्य होगा—

(क) जीव अनाशित कूड़े-कचरे को अस्थायी तौर पर जमा या संग्रहण के लिए उचित और सुविधाजनक स्थिति में सार्वजनिक कूड़ेदान रखना या संग्रह स्थानों या जगह की व्यवस्था करना;

(ख) जीव अनाशित कूड़े-कचरे को अस्थायी रूप में जमा करने के लिए, जीव नाशित कूड़ा-कचरा जमा करने के लिए रखी गई और अनुरक्षित से भिन्न, अलग कचरा पेटियों की व्यवस्था करना;

(ग) कूड़ादानों, कूड़ास्थानों की अन्तर्वस्तु और इस धारा के खण्ड (क) के अधीन इस द्वारा व्यवस्थित या निम्न सभी स्थानों के ढेर को हटाने की व्यवस्था करना;

(घ) इस अधिनियम के अधीन संगृहीत जीव अनाशित कूड़े-कचरे के पुनः चक्रण का प्रबन्ध करना।

5. जीव अनाशित कूड़ा-कचरा आदि संगृहीत और जमा करने का स्वामियों और अधिभोगियों का कर्तव्य.—सब भूमि और भवनों के स्वामियों और अधिभोगियों का निम्नलिखित कर्तव्य होगा—

(क) अपनी-अपनी भूमि और भवनों से जीव अनाशित कूड़ा-कचरा संगृहीत करना या करवाना और सार्वजनिक कूड़ा-कचरा संगृहीत करना या करवाना और सार्वजनिक कूड़ादानों, संग्रह स्थानों या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा क्षेत्र में जीव अनाशित कूड़े-कचरे को अस्थायी रूप में जमा करने या संगृहीत करने के लिए व्यवस्थित स्थानों में जमा करना या करवाना;

(ख) जीव नाशित कूड़े-कचरे को जमा करने के लिए रखी गई और अनुरक्षित से भिन्न, ऐसी भूमि या भवनों के सभी अनाशित कूड़े-कचरे के संग्रहण के लिए स्थानीय प्राधिकरण या इसके अधिकारियों द्वारा विहित प्रकार के और रीति में अलग कूड़ादानों या कचरा पेटियों की व्यवस्था करना और कूड़ादानों/कचरा-पेटियों को अच्छी दशा और अवस्था में रखना।

6. जीव अनाशित कूड़ा-कचरा या जीव अनाशित सामग्री हटाने के लिए स्थानीय प्राधिकरण या सक्षम प्राधिकारी की शक्ति.—स्थानीय प्राधिकरण या सक्षम प्राधिकारी किसी ऐसी भूमि या भवन, जो जीव अनाशित कूड़े-कचरे या जीव अनाशित सामग्री का अनधिकृत ढेर लगाने या जमा करने का स्थान बन गया है जिससे न्यूसैन्स का कारण बनने की सम्भावना है या जल निकास या मल व्ययन प्रणाली को क्षति होने की सम्भावना है या जीवन अथवा स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होने की सम्भावना है, के स्वामी या अधिभोगी या भागिक स्वामी या उसका स्वामी या भागिक स्वामी होने का दावा करने वाले व्यक्ति को लिखित में नोटिस देने के पश्चात् इस प्रकार ढेर लगाए गए या संगृहीत तथाकथित कूड़े-कचरे या सामग्री को हटाएगा या हटवाएगा या ऐसे पग उठाएगा जैसे वह आवश्यक समझे, और तथाकथित कूड़े-कचरे या सामग्री का, ऐसे व्यक्ति के खर्च पर, इस अधिनियम की धारा 7-क की उप-धारा (5) में यथा उपबन्धित रीति में, निपटारा कर सकेगा।

7. अध्ययन, अनुसंधान और समर्थन कार्यक्रम.—राज्य सरकार—

(क) जीव नाशित या जीव अनाशित कूड़े-कचरे के सम्मिश्रण के अवधारण के लिए अध्ययन का जिम्मा ले सकेगी;

(ख) अपशिष्ट के स्रोत में कमी या इसके पुनः प्रयोग और पुनःचक्रण को प्रोत्साहित करने के लिए अनुसंधान या कार्यक्रमों के संचालन या बढ़ावा देने के उपाय नियत कर सकेगी;

(ग) घरेलू और अन्य ठोस अपशिष्ट पृथक्करण स्कीमों की सामाजिक और आर्थिक साध्यता अवधारित करने के लिए अध्ययनों का संचालन कर सकेगी और बढ़ावा दे सकेगी, जिसके अन्तर्गत ठोस अपशिष्टों में पुनःचक्रण योग्य पदार्थों के प्रकार और मात्रा है;

(घ) राज्य में, निवासियों के लिए, जिनके कूड़ा-कचरा उठाने की नियमित व्यवस्था नहीं है, सुगमता से पहुँचने वाले ठोस अपशिष्ट संग्रहण स्थानों की व्यवस्था करने के लिए, स्थानीय प्राधिकरणों को प्रोत्साहित कर सकेगी;

(ङ) अपशिष्ट पदार्थों के पुनःचक्रण की नीतियों के कार्यान्वयन, ऊर्जा संरक्षण की अभिवृद्धि करने और पुनः चक्रीय पदार्थों से बने उत्पादों को खरीदने का जिम्मा ले सकेगी और स्थानीय प्राधिकरणों और अन्य व्यक्तियों को प्रोत्साहित कर सकेगी;

(च) पुनःचक्रण पर अनुसंधान जिसके अन्तर्गत संचालन पुनःचक्रण कारबार पर सूचना और पुनः चक्रणियों पर मंडी सूचना भी है संचालन कर सकेगी और बढ़ावा दे सकेगी;

(छ) सर्वसाधारण, स्थानीय प्राधिकरण, संस्था और उद्योगों के शिक्षण के प्रयोग के लिए अपशिष्ट प्रबन्ध और पुनःचक्रण पर अनुसंधान का संचालन कर सकेगी/बढ़ावा दे सकेगी;

7-क. प्रवेश और निरीक्षण करने की शक्ति.—(1) इस धारा के उपबन्धों के अधधीन, इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा सशक्त किसी व्यक्ति को, सभी युक्तियुक्त समयों पर ऐसी

सहायता के साथ, जैसी वह आवश्यक समझे, किसी भी स्थान पर, निम्नलिखित के लिए, प्रवेश करने का अधिकार होगा—

(क) राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे गये किसी भी कृत्य के अनुपालन के प्रयोजन के लिए; या

(ख) यह अवधारित करने के प्रयोजन के लिए कि क्या ऐसे किन्हीं कृत्यों का अनुपालन किया जाना है, यदि ऐसा है तो किस रीति में, या क्या इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के किसी उपबन्ध या इस अधिनियम के अधीन तामील किए गए किसी नोटिस, किए गए किसी आदेश, दिए गए किसी निदेश या अनुदत्त किसी प्राधिकार का अनुपालन किया जा रहा है या किया गया है; या

(ग) किसी अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज या किसी अन्य तात्त्विक सामग्री के परीक्षण या किसी भवन की तलाशी, जिसमें उसके पास यह विश्वास करने का कारण है, कि इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा है या किया जाने वाला है, के संचालन तथा ऐसे अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज या अन्य तात्त्विक सामग्री, जिसके बारे में इसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि यह इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के किए जाने का साक्ष्य दे सकेगा, के अभिग्रहण, के प्रयोजन के लिए।

(2) किसी भी जीव अनाशित सामग्री या जीव अनाशित कूड़े-कचरे का हथालन (हैंडलिंग) करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, उप-धारा (1) के अधीन सशक्त व्यक्ति को, उस उप-धारा के अधीन कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए, समस्त सहायता प्रदान करने के लिए आबद्ध होगा और यदि वह बिना किसी युक्तियुक्त हेतुक या कारण से ऐसा करने में असफल रहता है तो वह इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय होगा।

(3) यदि कोई व्यक्ति, उप-धारा (1) के अधीन सशक्त किसी व्यक्ति को, उसके कृत्यों के अनुपालन में जानबूझ कर विलम्ब करवाता है या बाधा डालता है, तो वह इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय होगा।

(4) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबन्ध यावत्शक्य, इस धारा के अधीन की गई किसी तलाशी या अभिग्रहण को वैसे ही लागू होंगे, जैसे वह उक्त संहिता की धारा 94 के अधीन जारी वारंट के प्राधिकार के अधीन की गई किसी तलाशी या अभिग्रहण के लिए लागू होंगे।

(5) इस धारा के अधीन अभिगृहीत किसी जीव अनाशित कूड़े-कचरे या जीव अनाशित सामग्री का निपटारा, ऐसी रीति में किया जाएगा, जैसी राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

8. शास्तियाँ.—(1) जो कोई इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या जारी की गई अधिसूचना अथवा दिए गए आदेश के उल्लंघन में किसी कार्य या साशय लोप का दोषी है, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपये तक का हो सकेगा अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।



(2) जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किए जाने पर, इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए पुनः दोषसिद्ध पाया गया है वह पश्चात् कथित अपराध के लिए उपबन्धित से दुगुनी शास्ति से दण्डनीय होगा।

(3) जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी भी रीति में अपराध करने में सहायता, दुष्प्रेरण करता है या उपसाधक है, वह दोषसिद्ध पर अपराध के लिए विहित कारावास से दण्डित किया जाएगा।

**9. कम्पनियों द्वारा अपराध.—**(1) जहां इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध करने वाला कोई व्यक्ति कम्पनी है, वहां प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था, अपराध के लिए दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने का भागी होगा :

परन्तु इस उप-धारा की कोई बात, ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबन्धित किसी दण्ड का भागी नहीं बनाएगी जो यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था और उसने ऐसे अपराध के निवारण के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन अपराध कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित कर दिया जाता है कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी घोर उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है वहां ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध के लिए दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने का भागी होगा।

**स्पष्टीकरण.—**इस धारा के प्रयोजन के लिए—

(क) “कम्पनी” से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है; और

(ख) फर्म के सम्बन्ध में “निदेशक” से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

**10. अपराधों का संक्षेपतः विचारण.—**इस अधिनियम के अधीन सभी अपराधों का किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मैजिस्ट्रेट द्वारा संक्षेपतः विचारण किया जाएगा और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 262 से 265 (दोनों सहित) के उपबन्ध, यथाशपथ, ऐसे विचारण को लागू होंगे।

**11. अपराधों का शमन.—**(1) अभियोजन संस्थित करने से पूर्व, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का, इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत ऐसे अधिकारी द्वारा, राज्य सरकार के खाते में जमा करने के लिए, ऐसी राशि के संदाय पर जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, शमन किया जा सकेगा।



(2) जहाँ उप-धारा (1) के अधीन किसी अपराध का शमन किया गया है; वह यथा शमनित अपराध के बारे में अपराधी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी और अपराधी, यदि अभिरक्षा में हो, उन्मोचित कर दिया जाएगा।

**12. राज्य सरकार द्वारा निदेश.**—स्थानीय प्राधिकरण, सक्षम प्राधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति इस अधिनियम के दक्ष प्रशासन के लिए ऐसे निर्देशों को कार्यान्वित करेगा जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इसे जारी किए जाएं।

**13. अनुसूची संशोधित करने की शक्ति.**—(1) जब कभी ऐसा करना समीचीन हो राज्य सरकार, लोकहित में और लोक विश्लेषक के परामर्श से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अनुसूची में किसी जीव अनाशित कूड़े-कचरे की किसी मद को जोड़ सकेगी या उससे हटा सकेगी और तत्पश्चात् अनुसूची तदनुसार संशोधित समझी जाएगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन प्रत्येक अधिसूचना, जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान सभा के समक्ष रखी जाएगी।

**14. प्रत्यायोजन की शक्ति.**—राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के अधीन इस द्वारा प्रयोक्तव्य शक्ति का (जिसके अन्तर्गत धारा 17 के अधीन नियम बनाने की शक्ति नहीं है) ऐसे मामलों में, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, ऐसे अधिकारी या प्राधिकरण द्वारा भी प्रयोग किया जा सकेगा, जिन्हें उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए।

**15. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण.**—इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने को आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या विधिक कार्यवाही राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या सक्षम प्राधिकारी के किसी अधिकारी या कर्मचारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध न होगी।

**16. अन्य विधियों का प्रभावित न होना.**—इस अधिनियम के उपबन्ध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अतिरिक्त हैं और उनके अल्पीकरण में नहीं हैं।

**17. नियम बनाने की शक्ति.**—(1) राज्य सरकार, पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल चौदह दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के अवसान के पूर्व जिसमें उसे इस प्रकार रखा गया है, विधान सभा उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाए तो तत्पश्चात् वहाँ ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होना यदि उक्त अवसान के पूर्व विधान सभा सहमत हो जाए कि वह नियम ही बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

**THE HIMACHAL PRADESH NON-BIODEGRADABLE  
GARBAGE (CONTROL) ACT, 1995**

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 20TH DECEMBER, 1995)

AN  
ACT

*to prevent throwing or depositing non-biodegradable garbage in public drains, roads and places open to public view "and to regulate the use of non-biodegradable material" in the State of Himachal Pradesh and for matters connected therewith or incidental thereto.*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Forty-sixth Year of the Republic of India, as follows :—

**1. Short title, extent and commencement.**—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Non-Biodegradable Garbage (Control) Act, 1995.

(2) It extends to the whole of Himachal Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint and different dates may be appointed for different areas.

**2. Definitions.**—In this Act, unless the context otherwise requires—

(a) "biodegradable garbage" means the garbage or waste material capable of being destroyed by the action of living beings;

(aa) "competent authority" means any authority, officer or person appointed by the State Government, by notification, for enforcement of any of the provisions of this Act;

(b) "house gully" means a passage or strip of land constructed, set apart or utilized for the purpose of serving as or carrying a drain or affording access to the latrine, urinal, cesspool or other receptacle for filth or other polluted matter, by persons employed in the clearing thereof or in the removal of such matter therefrom;

(c) "local authority" means a Municipal Corporation, a Municipal Council, a Nagar Panchayat, a Cantonment Board, a Zila Parishad, a Panchayat Samiti or a Gram Panchayat constituted, or continued, under any law for the time being in force;

(d) "market" includes any place where persons assemble of exposing for sale, meat, fish, fruits, vegetables, food, or any other articles for human use or consumption with or without the consent of the owner of such place, notwithstanding that there may be no common regulation for the concourse of the buyers and the sellers and whether or not any control is exercised over the business of, or the persons frequenting, the market by the owner of the place or by any other persons;

(e) "non-biodegradable garbage" means the waste garbage made of non-biodegradable material; and

(ee) "non-biodegradable material" means the material which cannot be decomposed or degraded by action of micro-organisms, sunlight or other natural actions and includes goods made or

manufactured from polythene, nylon or other plastic substances such as Poly-vinyl-carbohydrates (P.V.C.), poly-propylene and polystyrene specified in the Schedule to this Act;" and

- (f) "occupier" includes—
  - (i) any person who for the time being is paying or is liable to pay to the owner the rent or any portion of the rent of the land or building in respect of which such rent is paid or is payable;
  - (ii) an owner in occupation of or otherwise using his land or building;
  - (iii) a rent free tenant of any land or building; and
  - (iv) any person who is liable to pay to the owner damages for the use and occupation of any land or building;
- (g) "owner" includes a person who for the time being is receiving or is entitled to receive, the rent of any land or building, whether on his own account or on account of himself and others or as an agent, trustee, guardian or receiver for any other or who should so receive the rent or be entitled to receive it if the land or building or part thereof were let to a tenant;
- (h) "place" means any land or building or part of a building and includes the garden, ground and out-houses, if any, pertaining to a building or part of a building;
- (i) "place open to public view" includes any private place or building, monument, fence or balcony visible to a person being in, or passing along, any public place;
- (j) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;
- (k) "Public Analyst" means the person appointed or recognised to be the Government Analysts, in relation to any environmental laboratory established or recognised in the State, under the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986); and
- (l) "public place" means any place which is open to use and enjoyment of the public whether it is actually used or enjoyed by the public or not and includes a road, street, market, house-gully or way, whether a thoroughfare or not, and landing place to which public are granted access or have a right to resort or over which they have a right to pass.

**3. Prohibition to throw degradable garbage in public drains and sewage.**—(1) No person, by himself or through another, shall, knowingly or otherwise throw or cause to be thrown in any drain, ventilation shaft, pipe and fittings, connected with the private or public drainage works, any non-biodegradable garbage or any biodegradable garbage in a non-biodegradable bag or container likely to—

- (i) injure the drainage and sewage system;
- (ii) interfere with the free flow or affect the treatment and disposal of drain and sewage contents; and
- (iii) be dangerous or cause a nuisance or be prejudicial to public health.

(2) No person shall, knowingly or otherwise, place or permit to be placed, except in accordance with such procedure and after complying with such safeguards as may be prescribed, any biodegradable or non-biodegradable garbage in any public place or in a place open to public view, unless—

- (a) the garbage is placed in a garbage receptacle; or



- (b) the garbage is deposited in a location designated, by a local authority having jurisdiction on an area for the disposal of the garbage.

**3-A. Restriction or prohibition on use of certain things manufactured from non-biodegradable material.**—(1) The State Government may, by notification, impose restriction or prohibition on the use of non-biodegradable material within the State of Himachal Pradesh, which is contrary to the norms as the State Government may, by notification, specify.

(2) The State Government may impose requirements on manufacturers, distributors and other persons, who produce or handle commodities, with respect to the type, size, labelling and composition of packaging with respect to its use and disposal including standards or norms for material degradability and re-cyclability.

**4. Provision for placement of receptacles and places for deposit of non-biodegradable garbage.**—It shall be the duty of the local authority, or any officer authorised by it, to—

- (a) place or provide or place in proper and convenient situation public receptacles, depots or places for temporary deposit or collection of non-biodegradable garbage;
- (b) provide separate dustbins for temporary deposit of non-biodegradable garbage other than those kept and maintained for deposit of biodegradable garbage;
- (c) provide for the removal of contents of receptacles, deposit and of the accumulation at all places provided or appointed by it under clause (a) of this section; and
- (d) arrange for recycling of the non-biodegradable garbage collected under this Act.

**5. Duty of owners and occupiers to collect and deposit non-biodegradable garbage etc.**—It shall be the duty of the owners and occupiers of all lands and buildings—

- (a) to collect or to cause to be collected from their respective land and buildings the non-biodegradable garbage and to deposit, or cause to be deposited, in public receptacles, depots, or places provided for temporary deposits or collection of the non-biodegradable garbage by the local authority in the area;
- (b) to provide separate receptacles or dustbins, other than those kept and maintained for deposit of bio-degradable garbage, of the type and in the manner prescribed by the local authority or its officers for collection therein of all the non-biodegradable waste from such land and building and to keep such receptacles/dustbins in good condition and repair.

**6. Power of local authority or competent authority for removal of non-biodegradable garbage or non-biodegradable material.**—The local authority or the competent authority may, after giving notice in writing to the owner or occupier or part-owner, or person claiming to be the owner or part-owner of any land or building, which has become a place of unauthorised stacking or deposit of non-biodegradable garbage or non-biodegradable material which is likely to occasion a nuisance or is likely to injure the drainage and sewage system or is likely to be dangerous to life and health, remove or cause to be removed the said garbage or material so stacked or collected, or take such steps as it may think necessary, and dispose of the said garbage or material at the cost of such person in the manner as provided under sub-section (5) of section 7-A of this Act".

**7. Studies, research and support programme.**—The State Government may—

- (a) undertake studies to determine the composition of bio-degradable or non-biodegradable garbage;

- (b) establish measure to conduct or support research or programmes to encourage source reduction, re-use and recycling of waste;
- (c) conduct or support studies to determine the social and economic feasibility of household and other solid waste separation schemes, including studies of the type and amount of recyclable materials in solid wastes;
- (d) encourage local authorities in the State to provide readily accessible solid waste collection depots for residents who are not provided with regular garbage pick up;
- (e) undertake and encourage, local authorities and other persons to implement policies to recycle waste materials, to promote energy conservation and to purchase products made from recyclable materials;
- (f) conduct and support research on recycling including information on operating recycling business and market information on recyclables;
- (g) conduct or support research on waste management and recycling, for use in educating the public, local authorities, institutions and industry; and

**"7-A. Power of entry and inspection.**—(1) Subject to the provisions of this section, any person empowered by the State Government, by notification in this behalf, shall have a right to enter, at all reasonable times with such assistance as he considers necessary, any place—

- (a) for the purpose of performing any of the functions entrusted to him by the State Government; or
- (b) for the purpose of determining whether and if so in what manner, any such functions are to be performed or whether any provisions of this Act or the rules made thereunder or any notice, order or direction served, made or, given under this Act is being or has been complied with; or
- (c) for the purpose of examining any record, register, document or any other material object or for conducting a search of any building in which he has reason to believe that an offence under this Act or the rules made thereunder has been or is being or is about to be committed and for seizing such record, register, document or other material object if he has reasons to believe that it may furnish evidence of the commission of an offence punishable under this Act or the rules made thereunder.

(2) Every person handling any non-biodegradable material or non-biodegradable garbage shall be bound to render all assistance to the person empowered under sub-section (1) or carrying out the functions under that sub-section and if he fails to do so without any reasonable cause or excuse, he shall be liable to be punished under this Act.

(3) If any person wilfully delays or obstructs any person empowered under sub-section (1), in the performance of his functions, he shall be liable to be punished under this Act.

(4) The provisions of Code of Criminal Procedure, 1973, shall, so far as may be, apply to any search or seizure under this section as they apply to any search or seizure made under the authority of a warrant issued under section 94 of the said Code.

(5) Any non-biodegradable garbage or non-biodegradable material seized under this section shall be disposed of in the manner as the State Government may, by notification, specify.

**8. Penalties.**—(1) Whoever is guilty of any act or intentional omission in contravention of any of the provision of this Act, or of any rules, notification or order made, issued or given under this Act, shall be

punishable with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine which may extend to rupees twenty five thousand, or with both.

(2) Whoever having been convicted of an offence under this Act is again convicted of any offence under this Act shall be punishable with double the penalty provided for the latter offence.

(3) Whoever in any manner aids, abets or is accessory to the commission of an offence under this Act shall on conviction be punished with imprisonment prescribed for the offence.

**9. Offences by Companies.**—(1) If the person committing any offence punishable under this Act is a company, every person who, at the time of the commission of the offence, was incharge of, and responsible to the Company for the conduct of the business of the Company, as well as the Company shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly :

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment provided in this Act, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of the offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act has been committed by a Company and it is provided that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any gross negligence on the part of any director, manager, secretary or other officer of the Company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

*Explanation.*—For the purposes of this section—

(a) "Company" means any body corporate and includes a firm or other association of individuals; and

(b) "director" in relation to a firm means a partner in the firm.

**10. Offences to be tried summarily.**—All offences under the Act shall be tried in a summary way by a Judicial Magistrate of the First Class and the provisions of sections 262 to 265 (both inclusive) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) shall, as far as may be, apply to such trials.

**11. Compounding of offences.**—(1) Any offence punishable under this Act may, before the institution of the prosecution, be compounded by such officer as may be authorised by the State Government in this behalf, on payment, for credit to the State Government, of such sum as the State Government may, by notification, specify.

(2) Where any offence has been compounded under sub-section (1), no proceeding shall be taken against the offender, in respect of the offence as compounded, and the offender, if in custody, shall be discharged.

**12. Direction by the State Government.**—The local authority, competent authority or any other person shall carry out such directions as may be issued to it, from time to time, by the State Government for the efficient administration of this Act.

**13. Power to amend Schedule.**—(1) Where it is expedient to do so, the State Government may, in the public interest and in consultation with the Public Analyst, by notification in the Official Gazette, add to, or omit from the Schedule any item of non-biodegradable waste and thereafter the Schedule shall be deemed to be amended accordingly.

(2) Every notification under sub-section (1) shall be laid, as soon as may be after it is made, before the State Legislative Assembly.



**14. Power to delegate.**—The State Government may, by order published in the Official Gazette, direct that any power exercisable by it under this Act (not including the power to make rules under section 17) may also be exercised, in such cases as may be specified in the order, by such officer or authority, as may be specified therein.

**15. Protection of action taken in good faith.**—No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the State Government or the local authority or competent authority or any officer or other employees of the State Government or of the local authority of any other person authorised by the State Government, for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or the rules made thereunder.

**16. Other laws not affected.**—The provisions of this Act are in addition to, and not in derogation of the provisions of any other law for the time being in force.

**17. Power to make rules.**—(1) The State Government may subject to the condition of previous publication, make rules for the purposes of carrying out of the provisions of this Act.

(2) Every rule made by the State Government under this Act shall be laid as soon as may be, after it is made before the State Legislative Assembly, while it is in session, for a total period of fourteen days which may comprise in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the sessions in which it is so laid or the successive sessions aforesaid the Assembly agrees, in making any modification in the rule or decides that the rule should not be made, the rule shall thereafter have the effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

#### SCHEDULE

[See section 2 (ee)]

List of non-biodegradable material :

1. Polythene.
2. Nylon.
3. Poly-Vinyl-Carbohydrates (P.V.C.).
4. Poly-Propylene.
5. Poly-Styrene.